का॰ज्ञा॰ सं॰ II /12013/6/92रा॰भा॰ (क-2), दिनांक 15.7.1992

विषय:— संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के तीसरे खंड पर अनुवर्ती कार्रवाई-(i) विभिन्न विभागों के कार्यक्षेत्र से संबंधित तकनीकी विषयों पर पुस्तकें लिखने पर देय प्रोत्साहन योजना को उदार और आकर्षक बनाना (ii) प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षकों को अपने विषय से संबंधित पुस्तकें हिंदी में लिखने पर विशेष प्रोत्साहन देना; (iii) केन्द्रीय सरकार और विश्वविद्यालयों के सेवा निवृत्त सक्षम अधिकारियों तथा प्राध्यापकों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाना ताकि वे कुछ चुने हुए विषयों पर मूल रूप से हिंदी में पुस्तकें लिख सकें।

उपयुक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि संसदीय राजभाषा समिति ने अपने प्रतिवेदन के खंड 3 में की गई सिफारिशों में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:—

1. सिफारिश सं॰ झ (6) विभिन्न विभागों के कार्यक्षेत्र से संबंधित तकनीकी विषयों पर पुस्तकें लिखने पर देय प्रोत्साहन योजना को उदार और आकर्षक बनाना।

समिति ने सिफारिश की है कि उनके मंत्रालयों/विभागों के कार्यक्षेत्र से संबंधित तकनीकी विषयों पर मूल रूप से पुस्तकें लिखने अथवा अंग्रेजी पुस्तकों के अनुवाद के लिए चालू की गई प्रोत्साहन योजनाओं को अधिक उदार और आकर्षक बनाया जाना चाहिए और जिन मंत्रालयों/विभागों ने ऐसी योजनाएं शुरू नहीं की हैं उन्हें भी इस प्रकार की योजनाएं चलानी चाहिएं।

2. सिफारिश सं॰ झ (7) प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षकों को अपने विषय से संबंधित पुस्तकें हिंदी में लिखने पर विशेष प्रोत्साहन।

समिति ने सिफारिश की है कि प्रशिक्षण संस्थानों कार्यरत प्रशिक्षकों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए जिससे कि वे अपने विषय से संबंधित पुस्तकें हिंदी में भी लिखने लगें अथवा अनुवाद करने का प्रयत्न करके अपेक्षित पाठ्यसामग्री तथा संदर्भ साहित्य का निर्माण कर सकें।

3. सिफारिश सं॰ झ (8) केन्द्रीय सरकार और विश्वविद्यालयों के सेवा निवृत्त सक्षम अधिकारियों तथा प्राध्यापकों को विशेष रूप से प्रोत्साहन किया जाए ताकि वे कुछ चुने हुए विषयों पर मूल रूप से हिंदी में पुस्तकें लिख सकें।

समिति ने सिफारिश की है कि केन्द्र सरकार और विश्वविद्यालयों के निवृत्त सक्षम अधिकारियों तथा प्राध्यापकों के दीर्घ अनुभव और योग्यता का लाभ उठाते हुए उन्हें भी विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि वे भी कुछ चुने हुए विषयों पर मूल रूप से हिंदी में पुस्तकें लिख सकें।

2. संसदीय राजभाषा समिति की ये सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं। इस संबंध में राष्ट्रपति के निदेश इस विभाग के संकल्प सं॰ 13015/1/91-रा॰भा॰ (घ) दिनांक 4.11.91 द्वारा जारी किए गए हैं। मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इन सिफारिशों पर आवश्यक कार्रवाई करें तथा इनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।

कृपया इस संबंध में की गई कार्रवाई से राजभाषा विभाग को भी सूचित करें।